न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 83–तीन/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–12–2014 पारित द्वारा अपर तहसीलदार, तहसील सीहोर जिला सीहोर प्रकरण कमांक 8/अ–68/2014–15.

बनपसिंह पुत्र प्रेमनारायण
निवासी ग्राम नापली
तहसील व जिला सीहोर .....आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा अपर तहसीलदार
तहसील व जिला सीहोर .....अनावेदक

श्री एस.के. श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री बी.एन. त्यागी, अभिभाषक, अनावेदक शासन

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/8/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर तहसीलदार, तहसील सीहोर जिला सीहोर द्वारा पारित आदेश 27–12–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का नं. 55 द्वारा नायब तहसीलदार, सीहोर को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम नापली स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 62, सर्वे कमांक 118/1, सर्वे कमांक 116 एवं सर्वे कमांक 117

नोईयत आबादी में से 0.485 हेक्टेयर पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 8/अ–68/2014–15 दर्ज किया जाकर प्रकरण में कार्यवाही प्रारंभ की गई । आवेदक को जवाब प्रस्तुत करने हेतु बार–बार अवसर दिये जाने के बाद भी आवेदक द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 27–12–14 को जवाब हेतु अन्तिम अवसर दिया जाकर प्रकरण में सुनवाई हेतु 30–12–14 की तिथि नियत की गई । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक वादग्रस्त भूमि पर उसके पूर्वजों के समय से कृषि कार्य कर रहा है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की भूमि को अतिक्रमण की भूमि मान कर कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में स्वयं आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि आवेदक द्वारा किस प्रकार अतिक्रमण किया गया है, उक्त अतिक्रमण रिपोर्ट की प्रति दी जाये किन्तु मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही एवं पारित आदेश निरस्त कर आवेदक को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किए जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से शासकीय विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 27–12–14 के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है और प्रकरण में दिनांक 22–1–15 को अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है । अतः प्रकरण में अंतिम आदेश पारित होने जाने से यह निगरानी निरर्थक हो गई है । यह भी कहा गया कि स्थल निरीक्षण पंचनामा में आवेदक का अवैध अतिक्रमण पाया गया है ।

प्रत्युत्तर में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है, परन्तु यदि अन्तरिम आदेश अवैधानिक होने से निरस्त किया जाता है, तब बाद की कार्यवाही एवं पारित आदेश स्वयं निरस्त हो जावेंगे, इसलिये प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण किया जाये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 27–12–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है । तहसीलदार द्वारा दिनांक 22–1–2015 को प्रकरण में अन्तिम आदेश पारित कर दिया गया है । अतः यह निगरानी निरर्थक होने से इसी आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है । प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा दो बार प्रश्नाधीन भूमियों की नपती कर आवेदक को स्थिति से अवगत कराया गया है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा पारित अन्तिम आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है । अतः आवेदक द्वारा इस न्यायालय में उठाये गये बिन्दुओं को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर उठाया जा सकता है । दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी निरर्थक होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरर्थक होने से निरस्त की जाती है।

7/ यह आदेश निगरानी प्रकरण कमांक 78–तीन/15, निगरानी प्रकरण कमांक 79–तीन/15, निगरानी प्रकरण कमांक 80–तीन/15, निगरानी प्रकरण कमांक 81–तीन/15, निगरानी प्रकरण कमांक 82–तीन/15 एवं निगरानी प्रकरण कमांक 84–तीन/15 में भी लागू होगा । अतः आदेश की प्रति उक्त प्रकरणों में संलग्न की जाये।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर